

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रेस नोट

6 जिलों (भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर एवं सिराही) में
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव, 2021

कार्यक्रम की घोषणा

अनुच्छेद 243K (Article 243K) एवं पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17(2) में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी का एवं निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है।

आयोग द्वारा 21 जिलों (अजमेर, बांसवाडा, बाडमेर, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, झुंझारपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर) में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव आयोग द्वारा माह अक्टूबर-दिसम्बर, 2020 में संपन्न कराए जा चुके हैं।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव से शेष रहे 12 जिलों में इन आम चुनावों को कराने हेतु आयोग द्वारा पत्रांक 1094 दिनांक 09.02.2021 से नगरपालिका गठन से प्रभावित 18 पंचायत समितियों को छोड़ते हुए शेष पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव कराने हेतु निर्वाचक नामावली का कार्यक्रम जारी किया गया, जिसके अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 19.04.2021 को किया गया।

इसी बीच राज्य सरकार द्वारा इन 12 जिलों में नगगठित नगरपालिकाओं हेतु जारी की गई अधिसूचनाओं को निरस्त/विखण्डित कर दिया गया, जिससे इन 12 जिलों में नगरपालिका गठन से प्रभावित 18 पंचायत समितियों, जिनको आयोग द्वारा दिनांक 09.02.2021 को जारी निर्वाचक नामावली के कार्यक्रम से पृथक रखा गया था, में चुनाव कराने हेतु निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने में अडचन समाप्त हो गई।

अतः आयोग द्वारा उक्त 18 पंचायत समितियों की निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु पत्रांक 1368 दिनांक 24.02.2021 के द्वारा कार्यक्रम जारी कर दिया गया, जिसके अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 19.04.2021 को होना था, किन्तु राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 23.03.2021, 24.03.2021 एवं 25.03.2021 को उक्त 12 जिलों में पूर्व की भांति ही 17 नगरपालिकाओं का सृजन कर दिया गया, जिससे आयोग के आदेश दिनांक 24.02.2021 के द्वारा तैयार हो रही इन पंचायत समितियों की निर्वाचक नामावली का कार्यक्रम प्रभावित हो गया।

17 नवीन नगरपालिकाओं के पुनः गठन के पश्चात् पंचायतीराज विभाग के स्तर पर नवीन नगरपालिकाओं में सम्मिलित किए गए पंचायत क्षेत्रों को पंचायतीराज संस्थाओं से पृथक करने एवं नगरपालिका गठन से प्रभावित ग्राम पंचायतों के पूर्ण अथवा आंशिक ग्रामों/क्षेत्रों के परिसीमन/पुनर्गठन की प्रक्रिया के पूर्ण करने एवं संबंधित जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र एवं कतिपय स्थानों पर इनके आरक्षण के पुनः निर्धारण की कार्यवाही की जानी थी।

पंचायतीराज विभाग द्वारा उक्त 12 जिलों में से 7 जिलों (भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, सिराही एवं श्रीगंगानगर) के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन एवं आरक्षण का पुनः निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु दिनांक 25.06.2021 तक की समय सीमा निर्धारित की गई। उक्त समय सीमा को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा इन 7 जिलों की 9 पंचायत समितियों (नगर, उच्चैन, लालसोट, बस्सी, पावटा, भोपालगढ़, बामनवास, सादुलशहर एवं सिराही) की मतदाता सूची तैयार करने हेतु पत्रांक 2677 दिनांक 21.06.2021 के द्वारा निर्वाचक नामावलियों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया, जिसके अनुसार आज दिनांक 05.08.2021 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है।

शेष 5 जिलों (अलवर, बारां, धौलपुर, करौली एवं कोटा) में पुनर्गठन की प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों का विलोपन/नवसृजन एवं पुनर्गठन होने से इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के साथ जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन एवं आरक्षण का पुनः निर्धारण की कार्यवाही दिनांक 15.07.2021 को पूर्ण कर सूचना भिजवाई गई। अतः आयोग द्वारा उक्त 5 जिलों की 9 पंचायत समितियों (बानसूर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, कठूमर, अटरू, बसेडी, सरमथुरा, सपोटरा एवं सुल्तानपुर) के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कार्यक्रम आयोग के पत्रांक 3153 दिनांक 15.07.2021 के द्वारा जारी किया गया, जिसके अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 25.08.2021 को होना निर्धारित है।

माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन MA No. 2023/2020 in MA 1072/2020 in SLP(C) No. 30471/2019 में दिनांक 19.07.2021 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 7 जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव अगले माह एवं शेष 5 जिलों के आम चुनाव दिनांक 31.10.2021 तक संपन्न कराने के निर्देश प्रदान किए हैं।

श्रीगंगानगर जिले की नगरपालिका गठन से प्रभावित पंचायत समिति सादुलशहर के लिए भी आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करा ली गई है, किन्तु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 20.07.2021 को अधिसूचना जारी कर नवगठित नगरपालिका लालगढ़ जाटान से सैनिक छावनी क्षेत्र में सम्मिलित चार ग्रामों को नगरपालिका क्षेत्र से पृथक कर दिया गया। चूंकि नगरपालिका से पृथक किए गए क्षेत्रों को पंचायतीराज संस्थाओं में सम्मिलित किया जाना है, अतः इन्हें पंचायतीराज संस्थाओं में सम्मिलित करने पर ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं जिला परिषद तथा पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों तथा आरक्षण में परिवर्तन की स्थिति जानने के लिए स्वायत्त शासन विभाग तथा पंचायतीराज विभाग के सचिवों के साथ दिनांक 26.07.2021 को बैठक आयोजित की गई। बैठक में चर्चानुसार पंचायतीराज विभाग द्वारा अपने पत्रांक 04.08.2021 से स्पष्ट किया गया है कि "नगरपालिका लालगढ़ जाटान से पृथक किए गए क्षेत्रों को पंचायतीराज संस्थाओं में सम्मिलित किए जाने हेतु पंचायत समिति सादुलशहर के सदस्यों का आरक्षण प्रभावित हो रहा है। अतः पंचायत समिति सादुलशहर के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन एवं पुनः आरक्षण का कार्य किया जाना है।" अतः उक्त तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त आयोग द्वारा श्रीगंगानगर जिले को इस चुनाव कार्यक्रम से पृथक रखने का निर्णय लिया गया।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में आयोग द्वारा 6 जिलों (भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर एवं सिरोंही) के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव तीन चरणों में कराने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आम चुनाव से संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:-

● चुनाव कार्यक्रम

चरणवार चुनाव कार्यक्रम परिशिष्ट "A" एवं चरणवार पंचायत समितियां का विवरण परिशिष्ट "B" पर संलग्न है। आयोग द्वारा जारी उक्त चुनाव कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट <http://sec.rajasthan.gov.in/> पर भी उपलब्ध है।

● मतदाता सूची

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव हेतु तैयार की गई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 19.04.2021 एवं नगरपालिका गठन से प्रभावित 9 पंचायत समितियों के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन आज दिनांक 05.08.2021 को हो चुका है। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय में निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। ये मतदाता सूचियां अर्हता तिथि दिनांक 01.01.2021 के संदर्भ में तैयार की हुई हैं।

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों के लिए तैयार की गई अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित 6 जिलों में कुल 77 लाख 94 हजार 03 सौ मतदाता पंजीकृत हैं। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार इन मतदाताओं का वर्गीकरण इस प्रकार है:-

पुरुष	महिला	थर्ड जेण्डर	कुल
4123030	3671246	24	7794300

● वार्डों एवं मतदान केन्द्रों का विवरण

6 जिलों के लिए आज घोषित किए गए चुनाव में 200 जिला परिषद सदस्य, 1564 पंचायत समिति सदस्य, 6 जिला प्रमुख/उप जिला प्रमुख एवं 78 प्रधान/उप प्रधानों के लिए आम चुनाव होना है।

कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आयोग द्वारा अब प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 की गई है। पूर्व में एक मतदान बूथ पर सामान्यतः 1100 मतदाताओं की सीमा निर्धारित थी। प्रत्येक बूथ पर 1000 मतदाताओं की संख्या के अनुसार 6 जिलों में 10604 मतदान बूथ स्थापित किए जायेंगे।

● ई.वी.एम. से मतदान

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग किया जाएगा। आयोग द्वारा जिला स्तर पर ईवीएम की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार अन्य जिले के स्थानान्तरण की ऑन लाईन ट्रेकिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदान हेतु ईवीएम के आवंटन के लिए रेण्डमाइजेशन (Randomization) भी किया जाएगा।

● मतदान का समय

कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मतदान के समय में वृद्धि करते हुए मतदान का समय प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक नियत किया गया है, जिससे मतदाता आपस में उचित दूरी बनाए रखने की पालना करते हुए मतदान कर सकें।

● चुनाव कार्य हेतु कार्मिकों का नियोजन एवं प्रशिक्षण

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन संपादित कराने हेतु मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 65 हजार कार्मिकों की आवश्यकता होगी। मतदान एवं मतगणना दलों के गठन हेतु कार्मिकों का रेण्डमाइजेशन (Randomization) सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर मतदान एवं मतगणना हेतु दलों का गठन किया जाएगा।

● मतदाताओं की पहचान

राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उक्त 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज में से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के हैं। अतः सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान के समय उक्त दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को साथ लायें, जिससे मतदान कार्य सुगमता से शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्षरूप से सम्पन्न हो सके।

● मतदाता सहायता

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में मतदाता से संबंधित प्रविष्टि यथा मतदाता का नाम, वार्ड नम्बर, मतदाता क्रमांक एवं मतदान बूथ आदि की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए SMS Gateway Service उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए मतदाता द्वारा मोबाईल नम्बर 7065051222 पर SEC VOTER अंकित कर स्पेस के पश्चात् Epic No अंकित कर SMS भेजने पर SMS के माध्यम से उसकी प्रविष्टि का विवरण प्राप्त हो जायेगा।

दिनांक
05/08/2021

3

- **चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति**

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान, मतगणना अन्य चुनाव संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले के लिए आवश्यकतानुसार एक या अधिक पर्यवेक्षकों को नियोजित किया जाएगा। ये पर्यवेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ एवं चयनित तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल या इससे उच्चतर वेतन श्रृंखला के अधिकारी होंगे। चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके इस हेतु पर्यवेक्षकों द्वारा चुनाव के प्रत्येक स्तर के साथ मुख्य रूप से मतदान एवं मतगणना कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाइन्स की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी।

- **चुनाव नियन्त्रण कक्ष (Control Room) की स्थापना**

आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा भी चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में जानकारी प्रदान करने एवं प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए जाते हैं। आयोग कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है।

- **अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा**

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियन्त्रण करने के लिए आयोग के आदेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं। इस आदेश के अनुसार जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए 1,50,000/- एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000/- रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की हुई है।

लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से वाहन के सम्पूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की निगरानी हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जो अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की सतत निगरानी रखेगा।

- **दिव्यांगजन (Person with Disabilities) मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा**

आयोग द्वारा दिव्यांगजन के लिए मतदान केन्द्र पर विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए अपने आदेश दिनांक 24.12.2019 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए हैं। इन निर्देशों में ऐसे मतदाताओं की मैपिंग करने, प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने दिव्यांगजनों को मतदान के लिए मतदान बूथ तक लाने एवं छोड़ने के निर्देशों सहित मतदान केन्द्र पर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश शामिल हैं।

- **कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाइन्स**

आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों यथा ईवीएम की FLC, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, सवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाइन्स जारी की गई है। निर्वाचन गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से आयोग की अपेक्षा है कि वे केन्द्र/राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाइन्स की भी पूर्ण रूप से पालना करें।

चित्रा
05/08/2021

जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देश प्रदान किए गए हैं कि इन आम चुनाव में चुनाव कार्य/मतदान दलों में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी हो। इस हेतु चुनाव कार्य/मतदान दल में नियोजित किए जाने वाले कार्मिकों आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर शिविर का आयोजन कर उनका टीकाकरण किया जाए।

● आदर्श आचरण संहिता

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उक्त 6 जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। आयोग द्वारा राज्य सरकार को आदर्श आचरण संहिता की प्रभावी पालना हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

संबंधित पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।

चुनाव के लिए बड़ी मात्रा में कार्मिकों/अधिकारियों की आवश्यकता होगी, अतः इन जिलों में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। चुनाव की घोषणा से पूर्व जारी स्थानान्तरण आदेशों की अनुपालना में इन 6 जिलों में स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों को रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की अनुमति होगी, किन्तु चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात् इन जिलों से किसी कार्मिक को अपने पद से कार्यमुक्त होने की अनुमति नहीं होगी, भले ही उसका स्थानान्तरण चुनाव कार्यक्रम से पूर्व का ही क्यों न हो।

समस्त अभ्यर्थी, समस्त राजनैतिक दलों, सभी मतदाताओं, आमजन एवं मीडिया से आयोग अपील करता है कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने एवं कोरोना महामारी के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखने एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करते हुए निर्वाचन सम्पन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान करावें।

संलग्नक : 1. परिशिष्ट 'ए' - चुनाव कार्यक्रम।

2. परिशिष्ट 'बी' - चरणवार पंचायत समितियों का विवरण।

आज्ञा से,

चित्रा गुप्ता 05/08/2021

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक: 05-08-2021

क्रमांक: एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2020/ 3631

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
6. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।

अशोक कुमार जैन 05/08/2021
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2021 – चुनाव कार्यक्रम
(जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु)

क्र.स.	कार्य का विवरण (तीनों चरणों के लिए)	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	11.08.2021 (बुधवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	16.08.2021 (सोमवार) प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक (नोट – दिनांक 15.08.2021 (रविवार) को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जायेंगे)
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	17.08.2021 (मंगलवार) प्रातः 11.00 बजे से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	18.08.2021 (बुधवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	18.08.2021 (बुधवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6	मतदान दलों का प्रस्थान/पहुँच	
	प्रथम चरण के लिए	25.08.2021 (बुधवार)
	द्वितीय चरण के लिए	28.08.2021 (शनिवार)
	तृतीय चरण के लिए	31.08.2021 (मंगलवार)
7	मतदान की तिथि	
	प्रथम चरण के लिए	26.08.2021 (गुरुवार)
	द्वितीय चरण के लिए	29.08.2021 (रविवार)
	तृतीय चरण के लिए	01.09.2021 (बुधवार)
8.	मतदान का समय	प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक
9.	मतगणना (जिला मुख्यालय पर)	04.09.2021 (शनिवार) प्रातः 9.00 बजे से

चित्रा
05/08/2021

**जिला प्रमुख/उप जिला प्रमुख/प्रधान/उप प्रधान हेतु
चुनाव कार्यक्रम**

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां	
10	प्रमुख / प्रधान का चुनाव	06.09.2021 (सोमवार)	
11	उप प्रमुख / उप प्रधान का चुनाव	07.09.2021 (मंगलवार)	
12	प्रमुख / उपप्रमुख / प्रधान / उपप्रधान के चुनाव की बैठक की समय सारणी		
	1	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
	2	नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
	3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे से
	4	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 1.00 बजे तक
	5	चुनाव प्रतीको का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना	अपराह्न 1.00 बजे के तुरन्त बाद
	6	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो, उसका समय	अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य
	7	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा	सायं 5.00 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, जो भी पहले हो

चित्रा
05/08/2021

-2-

7

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN														
SPELL-WISE ZP & PS MEMBER ELECTION PROGRAMME, 2021														
			1st Spell				2nd Spell				3rd Spell			
S. No.	District	No. of Const. in Z.P.	Panchayat Samiti	No. of Cont. in P.S.	No. of G.P.	No. of polling booths	Panchayat Samiti	No. of Cont. in P.S.	No. of G.P.	No. of polling booths	Panchayat Samiti	No. of Cont. in P.S.	No. of G.P.	No. of polling booths
1	BHARATPUR	37	BAYANA	23	46	189	KAMAN	25	34	120	KUMHER	19	37	151
			WAIR	19	25	118	PAHADI	29	35	136	NADBAI	27	36	159
			BHUSAWAR	19	24	118	NAGAR	29	42	179	UCHHAIN	15	20	91
			ROOPWAS	23	32	162	DEEG	19	37	148	SEWAR	25	32	167
		37	4	84	127	587	4	102	148	583	4	86	125	568
2	DAUSA	29	SIKRAI	21	27	137	NANGAL RAJAWATAN	17	19	100	BASWA	15	18	91
			BAIJUPADA	17	21	103	LAWAN	15	15	70	DAUSA	25	32	160
			MAHAWA	33	42	219	RAMGARH PACHWARA	17	25	104	BANDIKUI	19	26	122
							LALSOT	27	37	147	SIKANDARA	19	24	120
		29	3	71	90	459	4	76	96	421	4	78	100	493
3	JAIPUR	51	KOTPUTLI	27	38	160	PHAGI	15	20	113	TUNGA	17	24	115
			PAWTA	23	29	125	MADHORAJPURA	15	19	99	BASSI	27	30	202
			SAHAPURA	23	37	191	KISHANGARH RENWAL	19	25	138	AANDHI	19	26	129
			VIRATNAGAR	25	32	145	JOBNER	17	22	108	KOTKHAWADA	15	21	95
			JALSU	25	34	147	SAMBHARLAKE	19	22	134	SANGANER	15	31	178
			AMER	23	25	129	DUDU	15	19	100	JAMWARAMGARH	27	35	175
			JHOTWARA	17	19	118	MOJMABAD	17	21	106	CHAKSU	15	24	101
							GOVINDGARH	31	49	331				
		51	7	163	214	1015	8	148	197	1129	7	135	191	995
4	JODHPUR	37	PHALODI	17	32	94	SHERGARH	17	31	113	BHOPALGARH	21	31	148
			BAP	17	36	100	BALESAR	21	38	143	BAWARI	21	32	145
			GHANTIYALI	15	31	89	SEKHALA	15	21	72	BILARA	19	30	141
			KERU	15	22	100	CHAMU	15	21	70	PIPADSHAHAR	23	35	177
			MANDORE	17	28	123	LOHAWAT	19	39	129	LUNI	25	33	208
			OSIYAN	23	34	169	BAPINI	15	20	66	DHAWA	17	26	111
			TINWARI	23	33	169	AAU	15	20	71				
							DECHU	17	34	103				
		37	7	127	216	844	8	134	224	767	6	126	187	930
5	SAWAI MADHOPUR	25	BAMANWAS	17	39	168	BONLI	21	25	138	S MADHOPUR	21	37	144
			GANGAPURCITY	23	44	216	MALARNA DUNGAR	17	27	104	KHANDAR	25	32	153
										CHOUTH KA BARWARA	21	23	138	
		25	2	40	83	384	2	38	52	242	3	67	92	435
6	SIROHI	21	ABU ROAD	15	32	115	SIROHI	17	30	146	SHIVGANJ	15	26	126
			REODAR	21	39	195	PINDWARA	21	43	170				
		21	2	36	71	310	2	38	73	316	1	15	26	126
Grand Total		200	25	521	801	3599	28	536	790	3458	25	507	721	3547

No. Z.P. Consty.
200

P.S.M.Const.	
Ist SPELL	521
IIInd SPELL	536
IIIrd SPELL	507
Total	1564

Panchayat Samiti	
I SPELL	25
II SPELL	28
III SPELL	25
Total	78

Gram Panchayat	
I SPELL	801
II SPELL	790
III SPELL	721
Total	2312

Polling Booth	
I SPELL	3599
II SPELL	3458
III SPELL	3547
Total	10604

पिन
05/08/2021